संख्या -11/2016/क0नि0-4- 346/11-2016-300(28)/2015

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 01 अप्रैल, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में वाणिज्य कर विभाग के आयोजनेत्तर व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि को विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि रु0 5667100 हजार (रुपये पाँच अरब छाछट करोड़ इक्हत्तर लाख मात्र) 06-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि रु0 44390 हजार (रुपये चार करोड़ तैतालिस लाख नब्बे हजार मात्र), 07-उ0प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में प्राविधानित धनराशि रु0 5,00,00,000/-(रुपये पाँच करोड़ मात्र), लेखाशीर्षक 2049-ब्याज अदायगियाँ-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज-701-विविध-03-प्रवेश कर के जमा खाते पर ब्याज का भुगतान-32-ब्याज/लाभांश में प्राविधानित धनराशि रू0 65,35,00,000/-(रूपये पैसठ करोड़ पैतीस लाख मात्र) लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051- निर्माण- 03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य की मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रु0 1,00,00,000/-(रुपये एक करोड़ मात्र), लेखाशीर्षक-2216-आवास- 01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास- 03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की विशेष मरम्मत एवं रखरखाव कार्य की मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि रु0 1,00,00,000/-(रुपये एक करोड़ मात्र) को संलग्न मदवार विवरण के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1). जिन मदों पर व्यय के संबंध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उस पर यथा समय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाय।

(2). स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नई सेवाओं/मदों पर शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(3). स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन तथा ऊपर प्रस्तर-1 में उल्लिखित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2016 के प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

संख्या-11/2016/क0नि0-4- 346(1)/11-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।